न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कमला अलारिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः–90/2017

1. दर्शनसिंह
2. नागरसिंह
3. बलजीतसिंह
4. जीतसिंह

} पुत्रगण मालासिंह जाति जटसिख सा.22 एल.जी.डब्ल्यू.तहसील सूरतगढ़

–अपीलार्थी

बनाम

1. मेजरसिंह पुत्र गुरूदेवसिंह जाति जटसिख सा.22 एल.जी.डब्ल्यू.तहसील सूरतगढ़
2. गुरदीपसिंह पुत्र गुरूदेवसिंह जाति जटसिख सा.22 एल.जी.डब्ल्यू.तहसील सूरतगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

–उत्तरवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री अजय कुमार अरोड़ा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
2. श्री संजय चांडक अधिवक्ता उत्तरवादीगण।

निर्णय

दिनांकः–02.02.2022

1. यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत तहसीलदार सूरतगढ के प्र.सं. 80/2016 वसीयत इंतकाल पत्रावली मेजरसिंह आदि बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2016 के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा जरिये वकील प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा चक 17 एलकेएस तहसील सूरतगढ़ के प0नं0 33/287 की 6.325 हैक्टर भूमि वसीयत के आधार पर रेस्पो0 1 ता 2 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रकरण में योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में अंमि तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि चक 17 एलकेएस के प0नं0 33/287 की 6.325 हैक्टर भूमि गुरूनानक सामुहिक सहकारी समिति हनुमानगढ़ के नाम दर्ज थी। अपीलार्थी व उत्तरवादीगण के दादा जंगसिह द्वारा यह भूमि सहकारी समिति से क्रय कर ली थी। जंगसिंह की मृत्यु पश्चात खरीद का धारा 13 ए उपनिवेशन अधिनियम के तहत नियमन किया गया एवं तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा इस भूमि का इ.सं. 152 दिनांक 22.07.08 को खरीदादर जंगसिंह के सभी विधिक वारिसान के हक में दर्ज किया गया। यह इन्तकाल सं. 152 तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिसकी अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर में अपील प्रस्तुत कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

3. दी गई। यह अपील तकनीकी कारणों से दिनांक 05.03.2014 को निरस्त कर दी गई मैरिट पर निर्णय नहीं हुआ। अपीलार्थीगण द्वारा मा.न्यायालय सीाागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष आदेश 41 नियम 19 सीपीसी के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। इस प्रक्रिया के दौरान उत्तरवादीगण ने दिइनांक 20.06.2014 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रा.पत्र प्रस्तुत कर भूमि के क्रेता जंगसिंह द्वारा उनके हक में वसीयत निष्पादित की गई है एवं अपने हक में इंतकाल करने का निवेदन किया। इस आवेदन पत्र पर सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई किये बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट के विरूद्ध जाते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.09.2016 को उत्तरवादीगण के हक में राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश जारी कर दिये जो विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्ती के है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 03.03.09 में इ.सं. 152 निरस्त किया जाकर नामांतरण बाबत पूर्ण जांच कर एवं अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ के निर्देशों एवं कानून अनुसार नामांतरण दर्ज करें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व जांच नहीं की गई है तथा ना ही अपीलार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया गया है। अतः अपील जानकारी से अन्दर मियाद है तथा अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थीगण हितबद्ध पक्षकार है। इसलिये 96 सीपीसी का प्रा. पत्र अपील किया गया है। अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4. योग्य अधिवक्ता उत्तरवादीगण ने तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2015 विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। अपीलाधीन भूमि चक 17 एलकेएस के प0नं0 33/287 की 6.325 हैक्टर गुरूनानक सामुहिक सहकारी समिति हनुमानगढ़ के नाम दर्ज थी। जिसे उत्तरवादीगण के दादा जंगसिह द्वारा सहकारी समिति हनुमानगढ़ से जरिये बैयनामा क्रय की गई थी। दादा जंगसिंह की मृत्यु पश्चात खरीद का धारा 13 ए उपनिवेशन अधिनियम के तहत नियमन किया गया था। प्रश्नगत भूमि जरिये वसीयत रेस्पो. को प्राप्त हुई थी जो उप पंजीयक हनुमानगढ़ से पंजीकृत है। अधिनस्थ न्यायालय में वसीयत के गवाह जसवन्तसिंह द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में दिनांक 14.01.2016 को शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समाचार पत्र में दिनांक 02.08.2014 को विज्ञप्ति साया करवाई गई थी। अपीलार्थीगण वसीयत को गलत होना बता रहे है, जबकि वसीयत की वैधता को निर्णित किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का न होकर सिविल न्यायालय का है। अतः अपील अपीलांट आधारहीन होने से निरस्त फरमाई जावे। कानूनी नजीर RRD 2006&07(supp-P-60 & 277, RRT 2019 (1) P-184 प्रस्तुत की।

5. योग्य अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा कानूनी नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. सर्वप्रथम प्रकरण में 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र पर निर्णय किया जाना है। पत्रावली अनुसार प्रश्नगत भूमि अपीलांट व रेस्पो. के दादा जंगसिंह द्वारा जरिये बैयनामा क्रय की गई थी जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर रहे है। पत्रावली अनुसार अपीलांट व रेस्पो. जंगसिंह के जायज वारिस है। प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध प्रतीत होते है। इसलिये अपीलांट अपील में हितबद्ध होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

7. अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा अपील अपीलांट देरी से प्रस्तुत किया जाना बताई गई है। अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.09.2016 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28.06.2017 को देरी से प्रस्तुत की गई है। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण द्वारा अपील के संलग्न मियाद अधिनियम की दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका खंडन रेस्पो. द्वारा प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत कर नहीं किया गया है। इसलिये अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अपीलांटस अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. पत्रावली में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 07.09.2016 अनुसार प्रश्नगत भूमि उत्तरदावादीगण के दादा जंगसिंह की जरिये बैयनामा खरीद की गई थी जिसकी वसीयत जंगसिंह द्वारा अपने पौत्रों रेस्पो. 1 ता 2 के पक्ष में की गई थी जो उप पंजीयक हनुमानगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध है। रेस्पो. द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समाचार पत्र सीमा संदेश में विज्ञप्ति साया करवाई गई तथा वसीयत के गवाह जसवन्तसिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जटसिख सा. ढींगावाली द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में दिनांक 14.01.2016 को शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण उत्तरवादीगण के पक्ष में दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 07.09.2016 को निर्णित पारित किया गया है। जो कानून सम्मत प्रतीत होता है। अपीलार्थीगण को यदि वसीयत की बैधता के सम्बन्ध में संदेह है तो वे सिविल न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त कर सकते है। वसीयत की वैधता के सम्बन्ध में सुनवाई का राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। अधिवक्ता उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर RRD 2006&07(supp-P-60 & 277 अनुसार वसीयत की वैधता की जांच करने का राजस्व न्यायालय को अधिकार नहीं है। कानूनी नजीर RRT 2019 (1) P-184 अनुसार वसीयत का न्याय निर्णय हेतु केवल सिविल न्यायालय को अधिकारिता है–वसीयत की वैधता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं की जा सकती है। अधिवक्ता उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त कानूनी नजीर इस प्रकरण में चस्पा होती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 07.09.2016 को पारित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner